

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268182
SG-DL-E-03122025-268182असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2025 अग्रहायण 10, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 353
No. 366]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2025/ AGRAHAYANA 10, 1947	[N. C. T. D. No. 353

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2025

सं. 16/2024-राज्य कर

फा0सं0 3(33)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/1151.— दिनांक 19-08-2025 की राजपत्र अधिसूचना फा. संख्या 14(101)/एलए/2025/संयु0स0वि0/631-640 द्वारा जारी, दिल्ली माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित को नियत करते हैं, —

- (क) 01 अक्टूबर, 2024 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान को लागू होंगे;
- (ख) 01 अप्रैल, 2025 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 9 के प्रावधान लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मंगेज सिंह, उप-सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st December, 2025

No. 16/2024-State Tax

F.No. 3 (33)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1151.— In exercise of the powers conferred by of sub-section (ii) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 issued vide Gazette Notification F. No 14(101)/LA/2025/jtsecylaw/631-640 dated 19-08-2025, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints, -

- (a) the 1st day of October, 2024, as the date on which the provisions of sections 35 of the said Act shall come into force;
- (b) the 1st day of April, 2025, as the date on which the provisions of sections 2 and 9 of the said Act shall come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy.(Fin.)